(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1515-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-05-2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद , प्रकरण क्रमांक 141/2013-14/अपील ।

गुलाब पिता तुकाराम कलार
निवासी ग्राम निपान्या तहसील भैंसदेही
जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-महादेव पिता तुकाराम कलार
2-सहादेव पिता तुकाराम कलार
निवासीगण ग्राम निपान्या तहसील भैंसदेही
जिला बैतूल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक-आवेदक
श्री सतेन्द्रसिंह, अभिभाषक-अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम निपन्या में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 117/1 रकबा 2.391 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदकगण के द्वारा पूर्व में हुये बंटवारे के आधार पर अलग अलग ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30-12-2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा फर्द बटान के अनुसार स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-5-2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । जिसके पालन में तहसील न्यायालय द्वारा पुनः जॉचोपरांत दिनांक 30-3-12 को आदेश पारित कर अपने पूर्व आदेश दिनांक 30-12-2009 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20-3-2014 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर उभय पक्षकारों के मध्य विभाजन स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 19-5-2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किये बिना आदेश पारित किया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 15-20 वर्ष से ग्राम पंचो द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त करना बताया है, जबकि उभयपक्ष तहसील न्यायालय में पारित आदेश के तहत विवादित भूमि के भूमिस्वामी बने जिन्हें बंटवारा आवेदन प्रस्तुती दिनांक से मात्र 7 वर्ष हुये तब विवादित भूमि का 15-20 वर्ष पूर्व बंटवारा कर काश्त करने संबंधी कथन संदेहास्पद होने से भी प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क दिया कि आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया

करने में भूल की गई है तथा बोलता हुआ आदेशपारित नहीं किया गया है, इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि पूर्व में तीनों भाईयों के मध्य पारिवारिक बंटवाराहो चुका था तथा बंटवारे के अनुसार 20 वर्षो से लगातार काबिज कास्त है, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा फर्द बटान पर आदेश पारित किया जिसे अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से पुन: फर्द बंटान तैयार कराकर पूर्व में बंटवारे को विखंडित कर विधि एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है, जिसे आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार ही समान बंटवारा किया है । उक्त बंटवारे से तीनों पक्षकारों को कोई नुकसान भी दिखलाई नहीं पड़ता है अत: आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-05-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर